

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(8)नवि/ 11/2009 लूज

जयपुर, दिनांक:

52 JUN 2020

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के सहायक नगर नियोजक की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन का माध्यम एवं विवरण		विशेष विवरण
		पदोन्नति वर्ष	रिक्ति तिथि	
1.	श्री महेन्द्र	-	-	-
2.	श्री गणपत लाल सुथार	-	-	-
3.	श्री महेन्द्र मीणा (अजजा)	-	-	-
4.	श्रीमती संध्या सैनी	-	-	-
5.	श्री कृष्ण कुमार जांगिड़	-	-	-
6.	श्री मोहन लाल मीणा(अजजा)	-	-	-
7.	श्री मोहम्मद अजहर जाटू	-	-	-
8.	श्री धनेश रूणवाल	-	-	-
9.	श्री भूपेश मालव	-	-	-
10.	श्री अंकुर देवत	-	-	-
11.	श्री मनीष कुमार (अजा)	-	-	-
12.	श्री इन्द्रजीत राठौड़ (अजा)	-	-	-
13.	श्री उदयसिंह दर्मा (अजा)	-	-	-
14.	श्री किशन लाल खाण्डा(अजा)	-	-	-
15.	श्रीमती पूनम मीणा (अजजा)	-	-	-
16.	श्री मूलेन्द्र सिंह चौहान	2017-18	01.04.17	-
17.	श्री श्रवण कुमार	2017-18	01.04.17	-
18.	श्री नवनीत अग्रवाल	2018-19	01.04.18	-

उक्त वरिष्ठता सूची; श्री दीप सिंह मीणा, सहायक नगर नियोजक (निलम्बित) के विरुद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरण तथा उक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में श्री मीणा के सेवा में नियमितकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय रहेगी।

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website:www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,



(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय